

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/107/2019

जीतेन्द्र कुमार ग्रा0 पो0 मुडिया साद, तह0 वैर जिला भरतपुर।

बनाम

जिला रसद अधिकारी, भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 16.10.2019

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्त श्री जीतेन्द्र कुमार ग्रा0 पो0 मुडिया साद, तह0 वैर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 09.08.2019 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। जिला रसद अधिकारी, भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट /819 दिनांक 25.09.19 से जिला रसद अधिकारी, भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। जिला रसद अधिकारी, भरतपुर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएं जिला रसद अधिकारी, भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई हैं। अपीलान्त ने जिला रसद अधिकारी, भरतपुर से उक्त सूचनाएं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी, भरतपुर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है। जिला रसद अधिकारी, भरतपुर से जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। जिला रसद अधिकारी, भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये तदुपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी, भरतपुर को प्रेषित की जावे एवं अपीलांत को भी भेजी जावे।

(डॉ. जोगा राम)
जिला कलक्टर
भरतपुर